

अधिसूचना

(डीबीओडी.सं.एलईजी.बीसी38/सी.233ए-85 दिनांक 29 मार्च 1985)

(यूबीडी.बीआर.764/बी.1-84/85 दिनांक 29 मार्च 1985)

उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित (सहकारी बैंक के लिए) क्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी की उप-धारा (3) और धारा 45जेडई की उप-धारा (4) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं को वापस करने से पहले तैयार की जाने वाली सूची और एक सुरक्षा लॉकर की सामग्री को हटाने की अनुमति देने से पहले तैयार की जाने वाली सूची क्रमशः उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार संलग्न या उसके निकट के रूप में निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

ह/-

ए घोष

उप गवर्नर

बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी (3))

श्री/श्रीमती _____ (मृतक) द्वारा _____ शाखा के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की निम्नलिखित सूची एक समझौते/रसीद के तहत दिनांक _____ 20 के _____ इस दिन लिया गया था।

क्र.सं.	सुरक्षित अभिरक्षा में लेखों का विवरण	अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो

उपरोक्त सूची को निम्न की उपस्थिति में लिया गया था:

श्री/श्रीमती.

(नामित) श्री/श्रीमती. _____

(नाबालिग नामिती की ओर से नियुक्त)

पता _____ अथवा पता _____

हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____

मै, श्री/श्रीमती. (नाबालिग नामिती की ओर से नामित/नियुक्त) एतद्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित लेखों की प्राप्ति की सूचना देता है।

श्री/श्रीमती. _____ (नामित) श्री/श्रीमती. _____

हस्ताक्षर _____ (नाबालिग नामिती की ओर से नियुक्त)

दिनांक और स्थान _____ हस्ताक्षर _____

दिनांक और स्थान _____

सामग्री की सूची का प्रपत्र

बैंकिंग कंपनी से किराए पर लिया गया सेफ्टी लॉकर

(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45झेडई (4))

सुरक्षा लॉकर संख्या _____ की सुरक्षित जमा तिजोरी में _____, _____ शाखा में स्थित _____ की सामग्री की निम्नलिखित सूची।

* श्री/श्रीमती _____ मृतक द्वारा अपने एकल नाम पर किराए पर लिया गया

* श्री/श्रीमती द्वारा किराए पर लिया गया. (i) _____ (मृतक)
(ii) _____ संयुक्त रूप से
(iii) _____

20 _____ के इस _____ दिन पर लिया गया था।

क्र. सं	सुरक्षा लॉकर में लेखों का विवरण	अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो

सूची के प्रयोजन के लिए, नामित/और जीवित किराएदारों को लॉकर तक पहुंच प्रदान की गई थी

- जिसने लॉकर की चाबी दी।
- उनके अनुदेशों के तहत लॉकर को तोड़कर।

उपरोक्त सूची की उपस्थिति में ली गई थी:

1. श्री/श्रीमती _____ (नामित) _____
पता _____ (हस्ताक्षर)
अथवा

1. श्री/श्रीमती _____ (नामित) _____
पता _____ (हस्ताक्षर)
और

श्री/श्रीमती _____
पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती _____
पता _____ (हस्ताक्षर)

संयुक्त किराएदारों के उत्तरजीवी

2. गवाह (ओं) नाम, पता और हस्ताक्षर के साथ:

* मैं, श्री/श्रीमती। _____ (नामित)

*हम, श्री/श्रीमती _____ (नामित),
श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ संयुक्त किराएदारों के
उत्तरजीवी, एतद्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित सुरक्षा लॉकर की सामग्री की
प्राप्ति को स्वीकार करते हैं।

श्री/श्रीमती _____ (नामित) श्री/श्रीमती _____ (उत्तरजीवी) हस्ताक्षर
हस्ताक्षर _____

दिनांक और स्थान _____

श्री/श्रीमती _____ (उत्तरजीवी)

हस्ताक्षर _____

दिनांक और स्थान _____

(* जो लागू न हो उसे काट दें)